[श्री लक्ष्मन लाल कपूर]

कि 19 सितम्बर, 1968 के हड़ताली कर्मचारियों की ब्रेक इन सर्विस को कन्डोन किया जायेगा लेकिन ब्रेक इन सर्विस के पीरियड में जो जूनियर थे वे सीनियर हो गए, उनको जो पदोन्नति मिल चुकी है उसका फायदा उन लोगों को किस प्रकार से मिलेगा ? इसलिए एकार्डिंग टु सीनियरिटी उनको कन्फर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह उनके साथ अन्याय होगा।

दूसरी बात यह है कि हड़ताल के सिलसिले में जो लोग पीड़ित हुए हैं उनके ऊपर अभी भी केसेज हैं और कुछ लोग अभी भी सस्पेन्डेड और डिस्चार्ज्ड हैं उनको तो लेने की बात कही गई है लेकिन जो कोर्ट केसेज हैं उनके सम्बन्ध में अभी कोई किल्यरकट आदेश नहीं है कि उनके ऊपर जो मुकदमे हैं उनको उठा लिया जायेगा। मैं समझता हूं ऐसे बहुत थोड़े लोग ही होंगे। उनके ऊपर भी आपको सद्भावना दिखलानी चाहिए। इसके अलावा जो लोग मारे गए हैं सरकार की गोलियों से उनके परिवार के लोगों को सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए तथा उनके परिवार में अगर कोई कार्य करने वाले लोग हों तो उनको रेलवे के अन्दर कहीं न कहीं सर्विस में लिया जाना चाहिए ताकि उन परिवारों का भरण-पोषण हो सके।

13 hrs.

इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे के अन्दर जो तीन लाख केजुअल लेबर हैं उनके सम्बन्ध में बार-बार सवाल उठाये जा चुके हैं कि कैजुअल लेबर सिस्टम को हटाकर उन लोगों को सी.पी.सी. स्केल के अनुसार ट्रीट किया जाये। उन लोगों के साथ जो अन्याय चला आ रहा है उसको दूर करने के लिए मन्त्री महोदय तुरन्त ध्यान दें।

इसके अलावा क्लास 3 और क्लास 4 के जो एम्पलाईज हैं उनके प्रमोशन की कोई व्यवस्था नहीं है।

वह स्टैगनैंट हैं जो जहां हैं वहीं पड़े हुए हैं। उस के लिए बार-बार यह ऐश्योरैंस भी दिया गया, पिछले बजट सैशन के दौरान यह वचन दिया गया था कि इन लोगों के विषय में हम सोचेंगे और इन को भी प्रोमोशन देने की बात की जायगी लेकिन खेद का विषय है कि आज तक उस वचन को पूरा नहीं किया गया है और वह उसी तरीके से पड़े हुए हैं। इस के कारण उन लोगों के अन्दर काफी असन्तोष है और एजिटेशन होते रहते हैं। रेलवे मंत्रालय को इस पर ध्यान देना चाहिए।

इस के साथ-साथ जहां तक क्लास तीन और क्लास चार का सवाल है...

MR. SPEAKER : He may continue after the lunch recess.

13.02 hrs.

The Lok Sabha Adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Five Minutes Past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

RE : QUESTION OF PRIVILEGE

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Lakhan Lal Kapoor may now continue his speech on the railway budget.

श्री शशि भूषण (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रिविलेज मोशन पेश किया है। शुक्रवार को छुट्टी थी शिवरात्रि की और "हिन्दुस्तान" अखबार ने लिखा है कि शनिवार को छुट्टी नहीं है और यहां बैठक होगी पार्लियामेंट की। "नवभारत टाइम्स" ने लिखा है कि इतवार को हमारी बैठक होगी।

MR. DEPUTY-SPEAKER : That has nothing to do with the business before us.

श्री शशि भूषण : मैं बाहर जाने वाला था, खास तौर से इतवार के लिए यहां आया, लेकिन यहां छुट्टी थी। यह "समाचार भारती" की न्यूज है। हिन्दी पत्रों को हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं। पता नहीं क्यों वह गलत खबरें छापते हैं। मैं समझता हूँ कि "समाचार भारती" पर ऐक्शन लिया जाना चाहिये क्योंकि उन्होंने हाउस की प्रोसीडिंग्स के खिलाफ छापा है।

MR. DEPUTY SPEAKER : Let him kindly send a proper notice in writing.

श्री शशि भूषण : मैंने नोटिस दे दिया है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : If he has sent, then it will be considered by the Speaker.

RAILWAY BUDGET, 1970-71—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Lakhan Lal Kapoor may now continue his speech.

श्री लखन लाल कपूर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों के साथ जो हैरेसमेंट और अन्याय होता है उस को दूर किया जाना चाहिये और क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों को अपग्रेडिंग करने का भी प्रयास किया जाना चाहिये। यह आश्चर्य की बात है कि एक तरफ तो एकानमी ड्राइव के नाम पर क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों के रिट्रेंचमेंट की बात कही जाती है और दूसरी तरफ यह नक्शा है कि गजेटेड आफिसर्स की भरमार होती जा रही है, सुपरवाइजरी आफिसर्स की भरमार होती जा रही है, क्लास 1 आफिसर्स की भरमार होती जा रही है। जिन क्लास 3 और 4 कर्मचारियों पर रेलवे का दारोमदार है, जो हमारी रेलवे की बैकबोन हैं उनको हटाया जा रहा है, उनकी अपग्रेडिंग रोकी जा रही है। 1962 से नान-फुलफिलमेंट आफ पोस्ट्स चल रहा है, लोगों के रिटायर होने से जो जगहें खाली होती हैं उन के लिए नई भरती करने का कोई रास्ता नहीं निकाला जाता, जिसके कारण जो उन लोगों के परिवार के सदस्य हैं या जो देश के पढ़े लिखे नौजवान हैं, वह बेकार पड़े हुए हैं। आज उनको एम्प्लायमेंट न मिलने की समस्या हमारे सामने खड़ी है। 1968 के स्ट्राइक के भी 11 आदमी सिकन्द्राबाद में विक्टिम बने हुए हैं, उन्हें काम पर वापस लिया जाना चाहिये। इसके साथ ही जो इस तरह के लोग दूसरी रेलवेज में हैं उन्हें भी वापिस लिया जाना चाहिये। जब आप लोगों के साथ न्याय करने की बात करते हैं तो इन लोगों के साथ भी जस्टिस आप को करनी चाहिये।

एसेन्शल सर्विसेज मेनटेनेन्स ऐक्ट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि वह स्ट्राइक्स को बैन करता है। उसी तरह से है

> "Sections 100 A and 100 B of the Indian Railways Act ennancing more punishment for the same technical offences under sections 4 and 5 of the Essential Services Maintenance Ordinance."

मैं कहना चाहता हूं कि इस ऐक्ट को भी रिपील करना चाहिये और जो साधारण कानून बनाकर लागू किया गया है उस को चलाना चाहिये।

जहां तक आटोमेशन का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में 18 जुलाई, 1968 को विज्ञान भवन में इंडियन लेबर कांफरेंस की स्टैंडिंग लेबर कमेटी का 28वां सम्मेलन हुआ था। उस में यह निर्णय किया गया था कि एक सब-कमेटी बनाई जाए और वह सब कमेटी पूरी तरह से इस की छानबीन करे। वह सब-कमेटी पता लगाये कि रेलवे में आटोमोशन को लागू किया जाए या न किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी कि इस कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है, ईस्टर्न रेलवे में इलैक्ट्रिक कम्प्यूटर लगा दिये गये हैं। इस पर आल इंडिया रेलवेमेंज फैडरेशन ने नाराज़गी जाहिर की है, उसके मंत्री ने नाराज़गी जाहिर की है और